<u>न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **39/18 (वाद)**

GCMS No. : 2018/00067

1. श्रीमती अनिता पत्नी दिलीप सिंह मीणा निवासी 360 रोड नम्बर 10 अशोक नगर उदयपुर।
2. श्री अर्श पिता दिलीप सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता अनिता पत्नी दिलीप सिंह मीणा निवासी 360 रोड नम्बर 10 अशोक नगर उदयपुर।
3. देवांशी पुत्री दिलीप सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता अनिता पत्नी दिलीप सिंह मीणा निवासी 360 रोड नम्बर 10 अशोक नगर उदयपुर।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री मांगीलाल पिता घीसा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
2. भंवरी पुत्री घीसा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
3. राधी पुत्री घीसा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
4. श्रीमती नाथीबाई पत्नी घीसा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
5. श्री भंवर पिता तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
6. श्री हीरा पिता तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
7. श्री दयाराम पिता तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
8. श्री दिनेश पिता तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
9. मोडी पुत्री तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
10. बसन्ती पुत्री तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
11. भगुडी पुत्री तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
12. मु. काली पत्नी तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री दिलीप शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 से 12

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 23.01.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सवानिया पटवार हल्का लोपडा तहसील मावली के प[illegible] क में वर्णित आराजी नम्बर 272, 273, 274, 279, 401, 402, 408, 409 कि[illegible] 8 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 275, 276, 277, 395, 396, 397, 399, 400, 411 किता 9 कुल रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा उक्त वर्णित परिशिष्ट क में अंकित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के नाम संयुक्त पर राजस्व अभिलेख 1/5 हक हिस्सा दर्ज है इसी तरह प्रतिवादी संख्या 5 से लगाकर 12 तक संयुक्त रूप से 1/5 वा हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। इसी तरह परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के नाम पर संयुक्त रूप से 1/15 हक हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 5 से लगाकर 12 तक के नाम पर संयुक्त रूप से 1/15 हक हिस्सा दर्ज हैं।

2. यह कि परिशिष्ट क व ख में वर्णित भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 से लगाकर 12 तक के पिता/पति श्री तुलच्छा पिता टेका जी भील ने उपरोक्त परिशिष्ट क व ख में वर्णित अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा यानि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक ने परिशिष्ट क में अपना सम्पूर्ण 1/5 वां हिस्सा व परिशिष्ट ख में वर्णित अपना सम्पूर्ण 1/15 वां हक हिस्सा तथा श्री तुलच्छा पिता टेका जी भील ने अपना परिशिष्ट क में वर्णित अपना सम्पूर्ण 1/5 वां हिस्सा व परिशिष्ट ख में वर्णित अपना सम्पूर्ण 1/15 वां हिस्सा वादीगण के पति/पिता श्री दिलीप सिंह मीणा पिता श्री चम्पालाल जी मीणा को विक्रय प्रतिफल की राशि 2,00,000/- अक्षरे दो लाख रूपये में बिकाव कर बिकाव की राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र श्री दिलीपसिंह पिता चम्पालाल जी मीणा के पक्ष में दिनांक 18.06.2009 को निष्पादित कर दिया तथा बिकावनामें की रजिस्ट्री वादीगण के पति/पिता के नाम पर करा दी जो उप पंजीयक कार्यालय मावली में दिनांक 18.06.2009 को पंजीबद्व किया गया तथा मौके पर कब्जा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक ने तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 12 तक के पिता/पति तुलच्छा पिता टेका भील ने खरीददार वादीगण के पिता/पति श्री दिलीपसिंह मीणा को सिपुर्द कर दिया, खरीद से खरीददार काबिज होकर काश्त करते रहे है तथा उनके निधन के बाद उनके वारिसान वादीगण खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा व विधिक अधिकार नहीं हैं।

3. यह कि उक्त आराजीयात की भूमि में से वादीगण के पिता/पति द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तरण की कार्यवा[illegible] व कर्मचारियों द्वारा नहीं करने से उक्त खरीदशुदा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम पर रह गई तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pinadia
Date: 2025.04.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

इसके अलावा विक्रेता तुलच्छा पिता टेका भील का निधन हो जाने से उनके द्वारा विक्रय की गई भूमि विरासत से प्रतिवादी संख्या 5 से 12 के नाम पर नामान्तरित हो गई। वादीगण के पिता/पति श्री दिलीपसिंह मीणा का भूमि खरीदने के कुछ समय बाद बीमारी से दिनांक 31.12.2010 को निधन हो गया था तथा जबकि उक्त खरीदशुदा आराजीयात की भूमि पर विक्रय पत्र की दिनांक से वादीगण के पिता/पति दिलीपसिंह मीणा जी एवं उनके निधन के बाद उनके कानूनी वारिसान वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है लेकिन राजस्व अभिलेख में बिकावनामें के आधार पर भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं होने से वादीगण के हक व अधिकारो पर विपरित असर पड रहा है इसलिए वादीगण परिशिष्ट क व ख में वर्णित आराजीयात की भूमि में से वादीगण के पिता/पति श्री दिलीपसिंह मीणा द्वारा खरीदी गई भूमि को अपने नाम पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी हैं।

4. यह कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज रह जाने से प्रतिवादीगण किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को भूमि को हस्तान्तरित मुतकिल आदि कर सकते है ऐसी स्थिति वादीगण के हितों पर बुरा असर पडेगा तथा पक्षकारान के मध्य मुकदमेबाजी में गुणात्मक वृद्धि होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व अपने खरीदशुदा हिस्से की भूमि तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के कानूनन अधिकारी है।

5. यह कि वादकारण दिनांक 16.02.2018 उत्पन्न हुआ जब वादीगण को खाते की नकल की जरूरत हुई तो हल्का पटवार मण्डल गये तथा राजस्व रिकार्ड देखने से मालूम हुआ कि वादीगण के पिता/पति द्वारा खरीदी गई भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हैं। उसके बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण को भूमि अपने नाम पर खाते कराने हेतु कहा तो उन्होने टालम टोली का जवाब दिया उसके बाद वादकारण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी हैं।

6. यह कि भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा अन्य सहकाश्तकार के हिस्से बाबत् कोई विवाद नहीं हैं इसलिए वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाये गये हैं। विक्रेता तुलच्छा पिता टेका जी भील निवासी सवानिया का निधन हो जाने से उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 से 12 तक है जिनको पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

7. अन्त में निवेदन किया कि वादीया के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वाद के परिशिष्ट क व ख में वर्णित प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हिस्से की भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा तद्नुसार परिशिष्ट क में वर्णित भूमि में वादीगण का 2/5 वां हक हिस्सा तथा परिशिष्ट ख में वर्णित भूमि में वादीगण का 2/15 वां हक हिस्सा दर्ज फरमाया जाकर राजस्व अभिलेख से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वाद के परिशिष्ट क व ख में वर्णित भूमि को किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को रहन बेह बक्षीस विक्रय नहीं करे और न ही भूमि की प्रकृति बदले तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करे यह कार्य प्रतिवादीगण ना स्वयं करे न ही अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट उत्तराधिकारी या किसी दिगर व्यक्ति से करावें। अन्य अनुतोष धारा 209 के तहत जो भी दाद वादीगण के पक्ष में हो सकती है वह दिलाई जावे एवं वाद व्यय व मेहनताना वकील वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 5 से 12 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं।

9. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती अनिता का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज मौजा सवानिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 101 प्रदर्श 1, खाता संख्या 190 प्रदर्श 2, विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2009 असल प्रदर्श 3 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 3ए करवाये गये। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

10. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श–3ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2009 अनुसार ग्राम सवानिया पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 272,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.04.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

273, 274, 279, 401, 408, 409, 402 किता 8 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 12 के मौरूस तुलच्छा पिता टेका के संयुक्त रूप से दर्ज 2/5 हिस्से का वादीगण के मौरूस दिलीपसिंह मीणा पिता चम्पालाल मीणा द्वारा क्रय किया गया। इसी प्रकार आराजी नम्बर 275, 276, 277, 395, 396, 397, 399, 400, 411 किता 9 कुल रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 12 के मौरूस तुलच्छा पिता टेका के संयुक्त रूप से दर्ज 2/5 एवं 2/15 हिस्से का वादीगण के मौरूस दिलीपसिंह मीणा पिता चम्पालाल मीणा द्वारा क्रय किया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों को नामान्तरकरण पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 12 के मौरूस तुलच्छा पिता टेका के संयुक्त रूप से दर्ज 2/15 हिस्से का वादीगण के मौरूस दिलीपसिंह मीणा पिता चम्पालाल मीणा का नाम खातेदारी अधिकार से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना चाहिए। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया। तत्पश्चात वादीगण के मौरूस दिलीपसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 12 के मौरूस तुलच्छा का निधन हो गया। फिर भी वादीगण के कथनानुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण का नाम अंकित नही कर विरासत का नामान्तरकरण पारित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में तुलच्छा के वारिसान का नाम अंकित कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण के मौरूस दिलीपसिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2009 से भूमि का क्रय करते ही उक्त भूमि का खातेदार हो चुका था। दिलीपसिंह के निधन के पश्चात वादीगण खातेदार हो चुके थे। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में ही अंकन नही किया गया। जो राजस्व कर्मचारियो की भूल है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार है। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अंकित करना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सवानिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 190 पर दर्ज आराजी नम्बर 272, 273, 274, 279, 401, 408, 409, 402 किता 8 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के नाम दर्ज 2/5 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 2/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 101 पर दर्ज आराजी नम्बर 275, 276, 277, 395, 396, 397, 399, 400, 411 किता 9 कुल रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के नाम दर्ज 2/15 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 2/15 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती अनिता पत्नी दिलीप सिंह मीणा निवासी 360 रोड नम्बर 10 अशोक नगर उदयपुर।
2. श्री अर्श पिता दिलीप सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता अनिता पत्नी दिलीप सिंह मीणा निवासी 360 रोड नम्बर 10 अशोक नगर उदयपुर।
3. देवांशी पुत्री दिलीप सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता अनिता पत्नी दिलीप सिंह मीणा निवासी 360 रोड नम्बर 10 अशोक नगर उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री मांगीलाल पिता घीसा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
2. भंवरी पुत्री घीसा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
3. राधी पुत्री घीसा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
4. श्रीमती नाथीबाई पत्नी घीसा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
5. श्री भंवर पिता तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
6. श्री हीरा पिता तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
7. श्री दयाराम पिता तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
8. श्री दिनेश पिता तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
9. मोडी पुत्री तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
10. बसन्ती पुत्री तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
11. भगुडी पुत्री तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
12. मु. काली पत्नी तुलच्छा भील निवासी सवानिया तहसील मावली।
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 39/18 (वाद) GCMS No. – 2018/00067

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम सवानिया पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 190 पर दर्ज आराजी नम्बर 27, 271, 274, 279, 401, 408, 409, 402

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

किता 8 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के नाम दर्ज 2/5 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 2/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 101 पर दर्ज आराजी नम्बर 275, 276, 277, 395, 396, 397, 399, 400, 411 किता 9 कुल रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के नाम दर्ज 2/15 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 2/15 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested